



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 08 जून, 2022

थाना शिकारपुर

कस्बा शिकारपुर निवासी ज्वैलर्स से रंगदारी मांगने की घटना का सफल अनावरण, चारों अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2022 को थाना शिकारपुर क्षेत्र के मौ0 कानूनगोयान निवासी सर्राफ श्री पंकज अग्रवाल पुत्र किशनलाल से अज्ञात अभियुक्त द्वारा व्हाट्सअप नम्बर पर जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रूपये की फिरौती की मांग की गयी थी, न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। इस संबंध में थाना शिकारपुर पर मुअसं-176/2022 धारा 506/507/386 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी शिकारपुर के निकट पर्यवेक्षण में स्वाट टीम (देहात) व थाना शिकारपुर पुलिस को लगाया गया था।

गठित टीमों द्वारा अथक् परिश्रम कर तकनीकी माध्यमों से लगातार की गयी छानबीन एवं विवेचना कार्यवाही से अभियुक्त **1-ऋषभ पुत्र कुवंरपाल, 2-विशाल पुत्र श्रीराम निवासीगण ग्राम पहाड़पुर हवेली थाना शिकारपुर बुलन्दशहर, 3-अनिल पुत्र नेमसिंह व 4-सौरभ उर्फ सहपठ निवासीगण ग्राम डडुआ थाना शिकारपुर बुलन्दशहर के नाम प्रकाश में आये।**

आज दिनांक 08.06.2022 को स्वाट टीम(देहात) व थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए अभिसूचना के आधार पर चारों अभियुक्तों को ग्राम डडुआ नगला मन्दिर के पास से अवैध असलहा मय कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त तीन मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- ऋषभ पुत्र कुवंरपाल निवासी ग्राम पहाड़पुर हवेली थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 2- विशाल पुत्र श्रीराम निवासी उपरोक्त।
- 3- अनिल पुत्र नेमसिंह निवासी ग्राम डडुआ थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 4- सौरभ उर्फ सहपठ पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त तीन मोबाइल फोन
2. 02 अवैध तंमचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस, एक चाकू नाजायज

घटना का संक्षिप्त विवरण- कस्बा शिकारपुर निवासी सर्राफा व्यापारी श्री पंकज अग्रवाल पुत्र किशनलाल के मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्हाट्सअप नंबर से 10 लाख रूपये की रंगदारी दिनांक 25/05/2022 समय 13.00 बजे जान से मारने की धमकी देकर मांग की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में श्री पंकज अग्रवाल द्वारा थाना शिकारपुर पर मुअसं-176/22 धारा 384/504/506 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान की गयी जांच में सूरज पुत्र विजयपाल का नाम आया। सूरज पुत्र विजयपाल से पूछताछ में पाया गया कि उनका मोबाइल फोन दिनांक 23/05/22 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट लिया गया था, जिसके संबंध में जिसका

थाना शिकारपुर पर मुअसं-196/22 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। तकनीकी माध्यमों एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना में 1-ऋषभ पुत्र कुवंरपाल, 2-विशाल पुत्र श्रीराम निवासीगण ग्राम पहाड़पुर हवेली थाना शिकारपुर बुलन्दशहर, 3-अनिल पुत्र नेमसिंह सिंह व 4-सौरभ पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम डडुआ थाना शिकारपुर बुलन्दशहर की संलिप्ता पायी गयी। इसी दौरान पूर्व में दिनांक 16/05/2022 को मोबाइल सैमसंग मोबाइन नंबर को रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मोबाइल स्वामी चन्द्रपाल निवासी ग्राम पहाड़पुर हवेली मुअसं-198/22 धारा 379 भादवि के थाना शिकारपुर पर पंजीकृत किया गया था। तकनीकी माध्यमों एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ऋषभ आदि चारों अपराधियों की उक्त घटना में संलिप्तता पाये जाने पर दिनांक 08/06/2022 को उपरोक्त अपराधियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि श्री सूरज पुत्र विजयपाल एवं चन्द्रपाल पुत्र हरकेश के लूटे एवं चोरी किये जाने दोनों मोबाइल फोनो का प्रयोग बड़ी चालाकी से सूरज के मोबाइल से सिम चन्द्रपाल के मोबाइल में डालकर सूरज के मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त कर अपने सैमसंग मोबाइल पर व्हाटसअप तैयार कर व्हाटसअप से सर्राफा व्यापारी को जान से मारने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपये फिरौती की मांग की गयी थी। घटना में संलिप्त तीनों मोबाइल फोन जिनका प्रयोग अपराधियों द्वारा घटना कारित करने में किया गया है, को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है।

अभियुक्त ऋषभ का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-176/22 धारा 506/507/386 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-196/22 धारा 392 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-197/22 धारा 379 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-199/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त विशाल का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-176/22 धारा 506/507/386 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-196/22 धारा 392 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-197/22 धारा 379 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-200/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त अनिल का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-176/22 धारा 506/507/386 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-196/22 धारा 392 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-197/22 धारा 379 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-201/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त सौरभ उर्फ सहपठ का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-176/22 धारा 506/507/386 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-196/22 धारा 392 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-197/22 धारा 379 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना शिकारपुर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्वाट टीम(ग्रामीण)-

1-है0का0मनीष त्यागी, का0नितिन शर्मा, का0 आकाश नेहरा, का0मनीष, का0ओमप्रकाश, का0 आकाश कुमार

थाना शिकारपुर पुलिस टीम-

1. श्री ऋषिपाल शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना शिकारपुर
2. उ0नि0 रविन्द्र सिंह, का0 अंकित कुमार, का0 सोहनपाल, का0 सुधीर, का0 शिवा, का0 प्रियांशु।



मीडिया सेल बुलंदशहर